



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ 1933 (श0)
(सं0 पटना 312) पटना, सोमवार, 4 जुलाई 2011

सं0 3ए-2-वे0पु0-13/2009—5283

वित्त विभाग

संकल्प

13 जून 2011

विषय :-माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभवों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान में भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के संकल्प सं0 630, दि0 21 जनवरी 2010 द्वारा राज्य के कर्मियों को केन्द्र सरकार में कार्यरत कर्मियों के छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वेतन एवं भत्ते को पुनरीक्षित किया गया है । उक्त परिपेक्ष्य में राज्य के माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभवों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभागीय पत्रांक-7879, दि0 21 जुलाई 2010 द्वारा प्रदान की गई, जिसके अनुसार उन्हें अनुमान्य वेतनमान के प्रथम प्रक्रम (नियत) वेतन पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता देय है । इसके अतिरिक्त उन्हें कोई भी अन्य भत्ता अनुमान्य नहीं था ।

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभवों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान में निम्नांकित भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

(i) अनुमान्यता के अन्दर बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित नियत वेतन पर पटना नगर क्षेत्र के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता की स्वीकृति ;

(ii) माननीय मंत्री के साथ नियुक्त बाह्य व्यक्तियों को प्रतिमाह 200 (दो सौ) रुपये चिकित्सा भत्ता के भुगतान की स्वीकृति एवं

(iii) आप्त सचिव एवं निजी सहायक दोनों के लिए पाँच-पाँच सौ रुपये प्रत्येक माह मोबाईल रिचार्ज कूपन के लिए नकद भुगतान की स्वीकृति । इस सुविधा पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग के कार्यालय व्यय से विकलित होगा ।

3. यह आदेश माह जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 312-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>